

10/10/17

अगिलेख उपस्थापित ।

देनदार द्वारा लकाया राशि बैंक में जमा कर
दिया गया है। बैंक से प्राप्त प्रतिवेदन
अनुसार आश की कार्रवाई बंद की जाती है।

लखापित
निलाम पत्र पदाधिकारी
चाकुलिया ।